केस स्टडी-32/2025

SPAD

जारी तिथि : 10.12.2025

घटनाक्रम: दिनांक 03.12.2025 को, दक्षिण मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में लोको नं. 37921/WAP-7/CNBE, ट्रैन नं. 18030, ऑटोमेटिक सेक्शन: दूर्ग (Durg) - नागपुर (NGP) के बीच में कार्य करते समय, कर्मीदल ने गंगाझारी (GJ) – कचेवानी (KWN) सेक्शन के बीच 30 Kmph (1020/19-1021/05) का सतर्कता आदेश का पालन किया, तत्पश्चात लोको पायलट ने गाड़ी की गति 88 Kmph तक बढ़ा दी। KWN स्टेशन का होम सिग्नल (S-3) जो एक पीला था, उसे लोको पायलट ने 63 Kmph की गति से पार किया और KWN स्टेशन का मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल नं. S-13, जो लाल था, उसे कर्मीदल ने **'ऑन'** की स्थिति में 39 Kmph की गति से पार कर, 140 मीटर आगे जाकर रुकी (समय 15:49 बजे)।

कर्मीदल के कथनानुसार: कचेवानी (KWN) स्टेशन का होम सिग्नल **हरा** था, जब एडवांस स्टार्टर सिग्नल लाल दिखा तो हमने तुरंत आपातकालीन/RS ब्रेक लगाया, परन्तु गाड़ी स्टार्टर सिग्नल (S-13) को **ऑन** स्थिति में पार कर खड़ी हुई।

संभावित कारण:

- कर्मीदल ने कचेवानी (KWN) स्टेशन का होम सिग्नल, जो एक पीला था, उसे हरा समझ लेना।
- कर्मीदल द्वारा कचेवानी (KWN) स्टेशन का स्टार्टर सिग्नल की स्थिति को देखने में विफल रहना।
- ALP द्वारा स्टार्टर सिग्नल (S-13) लाल दिखने पर भी समय पर RS वाल्व का न खोलना।

उपरोक्त घटना से सबक:

- ✔ गाड़ी संचलन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त न रहें एवं पूरा ध्यान सिग्नल के संकेतो पर केंद्रित रखें तथा अति आत्मविश्वास से बचें।
- ✔ लोको पायलट को "एक पीला" सिग्नल दिखने पर अपनी गाड़ी की गति के नियमानुसार बनाएं रखें।
- ✔ कर्मीदल को हाथों के इशारों से ज़ोर से सिग्नल के संकेतों को पुकारना चाहिए, जैसे हरा संकेत-1 बार, दो पीला-2 बार, एक पीला-3 बार व लाल संकेत बार-बार।
- ✔ कर्मीदल को "एक पीला" सिग्नल दिखने पर अगला सिग्नल लाल ही होगा एवं सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहें, विशेषकर ऑटोमेटिक सेक्शन में ,कभी भी यह मानकर न चलें कि अगला सिग्नल ऑफ ही होगा या हो जाएगा।
- ✔ लोको पायलट एक पीला सिग्नल दिखने पर अपनी गाड़ी की गति कम कर लें (60 Kmph मेल/एक्स. एवं 40 Kmph मालगाड़ी)।
- ✔ सिग्नल एक पीला दिखने पर ALP खड़े होकर RS वाल्व पर, लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकने तक हाथ रखें व आवश्यकता पड़ने पर/ गाड़ी की गति 70 Kmph से अधिक रहें पर, समय रहते RS वाल्व खोल दें।

(गौरव कु. श्रीवास्तव)
वरि.मं. व.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं